भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **710**
(जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2018/02 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त किया जाना

710. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान अंशदायी पेंशन योजना के मुद्दे तथा इस संबंध में कर्मचारियों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं की ओर गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों तथा सरकारी कर्मचारियों की ओर से अंशदायी पेंशन योजना को वापस लिए जाने संबंधी अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं, उन अनुरोधों की स्थिति क्या है; और
(घ) क्या कर्मचारियों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार इस मामले का समाधान करने तथा अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करने की योजना बना रही है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) से (घ): जी, हां। सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीए) को वापस लेने की मांग पर सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने भी अपनी रिपोर्ट में एनपीएस से संबंधित समस्याओं की जांच की थी तथा इन समस्याओं को दूर करने की सिफारिश की थी। उसके अनुसरण में, एनपीएस को सुचारू बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु सचिवों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बढ़ते हुए और गैर-सम्पोषणीय बिल के कारण तथा राजकोषीय प्रभावों को देखते हुए सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाना संभव नहीं है।

****